

// विज्ञापन //

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग. अटल नगर नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं क्षेत्रिय कार्यालय दुर्ग क्षेत्र दुर्ग के आदेश के अनुसरण में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव नोडल के अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध विभिन्न व्यवसायों/विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2022-23 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु निर्धारित प्रारूप मे आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 21.11.2022 (अपरान्ह 5 बजे तक) है। पदों की जानकारी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार हैं -

1. पदों की जानकारी :-

सरल क्र.	व्यवसाय का नाम	औप्रसं टेडेसरा	औप्रसं छुईखदान	औप्रसं मोहला	औप्रसं अंबागढ़ चौकी	औप्रसं छुरिया	कुल
01	फिटर	01	01	-	-	01	03
02	विद्युतकार	-	-	01	-	01	02
03	मैकेनिक डीजल	-	-	-	02	-	02
04	ड्रायवर कम मैकेनिक	-	-	-	01	-	01
05	कम्प्युटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	-	01	-	-	-	01

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं
01	फिटर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मेनूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। (3) अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (एटीआई/सीटीआई/एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो।

02	विद्युतकार	<p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>(2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।</p> <p>(3) अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (एटीआई /सीटीआई/एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो।</p>
03	मैकेनिक डीजल	<p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>(2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।</p> <p>(3) अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (एटीआई /सीटीआई/एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो।</p> <p>(4) हल्के मोटरयान (एल एम व्ही) का वैध लाइसेंस अनिवार्य है।</p>
04	ड्राइवर कम मैकेनिक	<p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>(2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।</p> <p>3) अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (एटीआई /सीटीआई/एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो।</p> <p>(4) हल्के मोटर यान (एलएमव्ही) का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।</p>
05	(कोपा) कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	<p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र /राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डीओई (डीओईएसीसी) से (A) स्तर का प्रमाणपत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बीसीए/पीजीडीसीए।</p> <p>3) अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (एटीआई /सीटीआई/एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो।</p>

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-


1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिये एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा।
2. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही, उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।
3. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल.एम.व्ही.) का वैद्य लाईसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरान्त यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।

4. नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राजनांदगांव (पेंड्री), जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है संस्था के वेबसाईट <https://itirjnd.ac.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है। एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुवाच्य रूप से बिना कांट-छांट के पूर्ण आवेदन भरकर कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राजनांदगांव (पेंड्री), जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) 491441 (पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, पिन कोड, सहित) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक में प्रेषित किया जाना है। आवेदक द्वारा लिफाफे के उपर व्यवसाय/विषय एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) तथा विज्ञापन क्रमांक व दिनांक लिखना अनिवार्य है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली-भांति पढ़कर पूर्ण रूप से भरकर आवेदन प्रेषित करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
4. संबंधित पद हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर मेरिट/चयन/प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जायेगी। अनुभव आवश्यक नहीं है।
5. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जायेगी। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।
6. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
7. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
8. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रेषित आवेदनों

- के नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त विलंब से प्राप्त होने हेतु संस्था जवाबदार नहीं होगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वे स्वमेव ही निरस्त हो जायेंगे।
9. आवेदक एक से अधिक पदों/संस्थाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें **पृथक पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक पृथक आवेदन पृथक पृथक लिफाफों में** प्रेषित करना होगा।
 10. आवेदित पद हेतु अर्हकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। (अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है)।
 11. चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय/विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जायेगा। चयन सूची नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।
 12. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचियों का अनुमोदन पश्चात् ही नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी को दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। उन्हें किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी/दिया नहीं जावेगा।
 13. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी।
 14. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घण्टे 125/- रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 05 घण्टे, के मानदेय का प्रावधान है जो अधिकतम प्रतिमाह रुपये 13000.00 (रुपये तेरह हजार मात्र) मानदेय देय होगा। जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
 15. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जावेगा।
 16. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुये स्पष्ट कारण दर्शाते हुये उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
 17. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
 18. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

नोट:- उक्त विज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय छत्तसगढ़ बिलासपुर द्वारा WPS 1648 of 2022 के पारित आदेश का पालन करते हुए जारी किया जा रहा है।


प्राचार्य/नोडल अधिकारी
ः नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राजनांदगांव,
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

// 2 //

- 09 क्या आप सी.टी.आई./ए.टी.आई.उत्तीर्ण है? :
(हॉ/नहीं) यदि हॉ तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
- 10 क्या आप हल्के मोटरयान(एल.एम.व्ही)का वैद्य लाइसेंस धारी है? :
(यदि लागू हो)(हॉ/नहीं) यदि हॉ तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

- टीप:- 1. प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र पृथक पृथक लिफाफों में प्रेषित किया जावे।
2. आवेदन जिला-नोडल संस्था के नाम से स्पीड पोष्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. संलग्न प्रमाण पत्रों/अंकसूचियों की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगावें।
4. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।

//शपथ-पत्र //

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है एवं मैं सहमत हूँ कि-

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग.रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगा/रहेगी। इसके लिये मैं सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/ व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी तथा मेरी शेष अन्य संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

- 1..... 2.....
- 3..... 4.....
- 5..... 6.....
- 7..... 8.....

दिनांक.....

स्थान.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

मोबाईल नम्बर.....